न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 05/2019-20

आवेदक/प्रथम पक्ष – मिलु देवी पति बालचन्द महतो
ग्राम–बेलाहाथी थाना–खूँटी जिला–खूँटी।

विपक्षी/द्वितीय पक्ष – रूईचा महतो पिता स्व0 कोरही महतो
ग्राम–बेलाहाथी थाना–खूँटी जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
10.12.20	(नीचे देखें)	

10.12.20

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–184R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.18 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बेलाहाथी	खूँटी 91	03	831	0.50
			886	0.06
			893	0.41½
				0.97½

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–बेलाहाथी, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.97½ एकड़ है जिसे मिलु देवी पति बालचन्द महतो ग्राम–बेलाहाथी थाना–खूँटी जिला–खूँटी ने रूईचा महतो पिता स्व0 कोरही ग्राम–बेलाहाथी थाना–खूँटी जिला–खूँटी से बिक्री केवाला पट्टा सं0–314/309 दिनांक 16.05.2018 से क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार बँटवारानामा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की आपसी बँटवारा मांगे जाने पर दाखिल कर दिया जायेगा। उक्त वाद में किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से आपसी बँटवारानामा प्राप्त करते दाखिल खारिज करने हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि नामांतरण के समय अंचल अधिकारी के समक्ष बँटवारानामा प्रस्तुत करे।

लेखापित एवं संशोधित

10/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

10/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।